प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित किया गयाः- 24–08–2021

निर्णय पारित किया गयाः- 27–09–2021

W.P.C. No. 3551/2019

श्रीमती पुष्पा साहू पति श्री जगेश्वर साहू, उम्र लगभग– 32 वर्ष,
सरपंच ग्राम पंचायत किरवई, जनपद पंचायत सिमगा,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ०ग०) ---अपीलार्थी

//विरूद्ध//

01. छ०ग० राज्य, द्वारा–सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, जिला– रायपुर (छ०ग०)
02. छ०ग० राज्य, द्वारा–सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
मंत्रालय, नया रायपुर, जिला– रायपुर (छ०ग०)
03. जिलाधीश बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ०ग०)
04. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं विहित प्राधिकारी पंचायत, सिमगा,
जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (छ०ग०)

---उत्तरवादीगण

अपीलार्थी द्वारा – श्री आनंद मोहन तिवारी अधिवक्ता।
उत्तरवादी राज्य द्वारा – श्री विक्रम शर्मा, उप–शासकीय अधिवक्ता।

माननीय श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्रीमती रजनी दुबे, न्यायाधीश

सी.ए.वी. आदेश

1. याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 39(1)(ख) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। (संक्षेप में 'अधिनियम, 1993')। अधिनियम, 1993 का

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रश्नाधीन प्रावधन विहित प्राधिकारी को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पंचायत के एक पदाधिकारी को निलंबित कर सके, जिसे इस अधिनियम के तहत उसके कार्यालय से हटाए जाने के लिए कारण बताने के लिए आरोप पत्र के साथ नोटिस दिया गया है।

2. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आनंद मोहन तिवारी ने दो दलीलें रखीं। सबसे पहले, उन्होंने कहा कि पंचायत के किसी पदाधिकारी को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने का अधिकार मनमाना है; और दूसरा, निलंबन आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर न मिलने के प्रावधान के अभाव में, उक्त प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील की और से अपने समर्थन में यह तर्क दिया गया है कि अन्य राज्यों के समान अधिनियम में ग्राम पंचायत के एक पदाधिकारी को एक निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है, इसलिए छ०ग० का यह अधिनियम मनमाना है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप–शासकीय अधिवक्ता श्री विक्रम शर्मा ने याचिकाकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का विरोध किया है। उनके अनुसार, निलंबन करने की शक्ति, दंड लगाने की शक्ति के समान नहीं है, इसलिए, इस स्तर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते। उन्होंने कहा कि निलंबन के आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा धारा 39(2) के तहत 90 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, अन्यथा वह निष्प्रभावी कर दिया गया है, माना जाएगा, इसलिए विहित प्राधिकारी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति पर पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन है। यह भी तर्क दिया गया है कि पूरी याचिका अस्पष्ट है; अस्पष्ट दलीलों पर आधारित है; और इस बात को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त सामग्री का अभाव है कि

प्रावधान किस तरह से अधिकातीत/शक्तियों से परे है, इसलिए, याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. अधिनियम, 1993 की धारा 39 (1) (2), जो इस याचिका में संबंधित हैं, आसानी से पढ़ने के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत की गई है।

> **"धारा 39. पंचायत के पदधारी का निलम्बन-- (1)** विहित प्राधिकारी ऐसे किसी पदधारी को पद से निलम्बित कर सकेगा –
>
> **(क)** जिसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) के अध्याय 5–क, 6,9, 9–क, 10, 12 और अध्याय 16 की धारा– 302, 304 ख,305,306, 312 से 318 तक, 366–क,366–ख, 373 से 377 तक और अध्याय 17 की धारा 395 से 398 तक, 408,409,458 से 460 तक तथा अध्याय 18 के अधीन या खाद्य सामग्री और औषधि अपमिश्रण के निवारण, ("स्त्रियों तथा बालक के संबंध में अनैतिक व्यापार दमन और सिविल अधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार निवारण") संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों में आरोप विरचित किए गए हैं; या
>
> **{(ख)** जिस पर इस अधिनियम के अधीन उसे पद से हटाये जाने के लिए कारण बताओ सूचना, आरोप पत्र के साथ, तामिल की गयी है।**}**
>
> **(2)** उपधारा (1) के अधीन दिए गए निलम्बन आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को दस दिन की कालावधि के भीतर की जाएगी और वह ऐसे आदेशों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो राज्य सरकार पारित करना उचित समझे। यदि निलम्बन आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से 90 दिन के भीतर नहीं की जाती है तो वह निष्प्रभावी कर दिया गया है, समझा जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. उपरोक्त उद्धृत प्रावधान की धारा 39(1)(ख) के अनुसार विहित प्राधिकारी को उस पदाधिकारी को निलंबित करने की शक्ति प्रदान करता है जिसके खिलाफ उसे पद से हटाने के लिए आरोप–पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। यह शर्त निलंबन की शक्ति

के प्रयोग पर पहली शर्त है क्योंकि अधिनियम, 1993 के तहत साधरण निलंबन की परिकल्पना नहीं की गई है। निलंबन तभी होगा जब पदाधिकारी को पद से हटाने के लिए कारण बताओ नोटिस कार्यालय से जारी किया गया हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि, कार्यालय से हटाने के आरोप–पत्र के साथ कारण बताओ नोटिस में वे आरोप शामिल होने चाहिए जिनके आधार पर पदाधिकारी को हटाने की मांग की जा रही है। यदि आरोपों में पंचायत के पदाधिकारी को हटाने की मांग की गई है, तो पदाधिकारी के निलंबन के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए। जिस पदाधिकारी को पद से हटाया जाना आवश्यक है, उसे आम तौर पर जांच के लंबित रहने के दौरान उसी कारण से कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसके लिए नियम–09 छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के तहत किसी सरकारी कर्मचारी के निलंबन के संबंध में अधिनियमित किया गया है जब उसके खिलाफ विभागीय जांच पर विचार किया जा रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. यह स्थापित कानून है कि निलंबन कोई सजा नहीं है।{देखें: **पी.एल. शाह वि० भारत संघ और अन्य [(1989) 1 एससीसी 546]**}। यह भी सामान्य कानून है कि न्यायालय निलंबन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता क्योंकि यह सक्षम प्राधिकारी के विशेष अधिकार क्षेत्र में है। {देखें: **भारत संघ और अन्य वि० अशोक कुमार अग्रवाल व अन्य [(2013) 16 एससीसी 147]**}.

7. इस प्रकार, जब किसी पदाधिकारी का निलंबन दंड नहीं है, तो पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है और इस आधार पर प्रावधान को असंवैधानिक या अधिकार–विहीन घोषित नहीं किया जा सकता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि धारा 39 (2) के अनुसार निलंबन के आदेश की सूचना राज्य सरकार को 10 दिनों के भीतर दी जानी

चाहिए, जो ऐसे आदेशों के अधीन होगा जिन्हें राज्य सरकार पारित करना उचित समझे। यदि निलंबन के आदेश की पुष्टि राज्य सरकार द्वारा उस रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर नहीं की जाती है, तो इसे निष्प्रभावी माना जाएगा।

8. यहाँ फिर से कहना उचित होगा कि, विहित प्राधिकरी द्वारा शक्तियों के प्रयोग पर पर्याप्त नियंत्रण और संतुलन स्वयं कानून में ही निहित है। पहली आवश्यकता 10 दिनों के भीतर मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार को देना और उसके बाद 90 दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि का आदेश पारित करना है। यदि निलंबन के आदेश की रिपोर्ट राज्य सरकार को नहीं दी जाती है तो यह निश्चित है कि 90 दिनों के भीतर पुष्टि का कोई आदेश नहीं होगा। दूसरी स्थिति में, यदि मामला 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को सूचित किया जाता है, और राज्य सरकार 90 दिनों के भीतर निलंबन के आदेश की पुष्टि का कोई आदेश पारित करने में विफल रहती है, तो इसे निष्प्रभावी माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा पारित पुष्टि का आदेश निश्चित रूप से कुछ सामग्री पर आधारित होगा और उचित विचार–विमर्श के बाद होगा और एक बार ऐसा हो जाने के बाद, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए कि निलंबन की शक्ति का प्रयोग केवल पदाधिकारी को परेशान करने के लिए किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. चुनौती का तीसरा आधार अन्य राज्य विधानों द्वारा बनाए गए समान कानूनों की तुलना पर आधारित है। इस आधार पर, यह उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि किसी सक्षम राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को अन्य राज्य विधानों द्वारा बनाए गए कानून से तुलना करके असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है।

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **M/s बाबू राम गोपाल और अन्य वि० मथरा दास,** (1990) 2 SCC 279 की पैरा 7 में, इस प्रकार कहा कि–

> "7. कुछ किराया अधिनियमों की भाषा के संबंध में, जो विशेष रूप से यह संकेत करती है कि गैर–कब्जे की अवधि वह होनी चाहिए जो मुकदमे से ठीक पहले की हो, विद्वान् अधिवक्ता सही हैं कि वर्तमान अधिनियम की भाषा की तुलना करने से उनके रुख को कुछ समर्थन मिलता है, लेकिन केवल यही अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर भारी नहीं पड़ता। दूसरी ओर, यदि कई अन्य अधिनियमों के प्रावधानों का विश्लेषण किया जाए, तो यह देखा जाएगा कि यह धारा पूर्ण–वर्तमान–काल के प्रयोग से बचने के लिए इस प्रकार व्यक्त की गई है। उदाहरण के लिए, बिहार किराया अधिनियम के प्रावधान देखे जा सकते हैं, जो एक किरायेदार को "सिर्फ एक निर्णय को कार्यान्वित करने के अलावा निष्कासित करने से मना करता है" जो **उप–किरायेदारी** या वहां उल्लेखित अन्य कारणों के लिए पारित किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि **नथिया अग्रवाल वि० मुस्ट जहांगरा बेगम** में इंगित किया गया है, विभिन्न राज्यों के कानूनों की तुलना की अनुशंसा नहीं की जाती क्योंकि विभिन्न राज्यों के कानूनों में समानता या भिन्नता आवश्यकतः समान या भिन्न इरादे का संकेत नहीं देती। इस मत का कारण निम्नलिखित भाषा में व्यक्त किया गया था:" (एससीआर पे.929)
>
> > "अलग–अलग लोगों से, अलग–अलग समय पर और स्थानीय चरित्र की अलग–अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाए गए अधिनियम, निर्माण में शायद ही कभी ठोस या सुनिश्चित सहायता प्रदान कर पाते हैं। इसलिए, हम मद्रास, बिहार, दिल्ली और अन्य राज्यों के किराया नियंत्रण अधिनियमों को अलग रखेंगे क्योंकि इन राज्यों में भूमि और घरों की उपलब्धता और पिछले विधायी इतिहास और अनुभव के संबंध में समायोजन की समस्या असम जैसी नहीं हो सकती है।" (जोर दिया गया)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. प्रत्येक कानून को इसकी संवैधानिक शक्ति और कमजोरी के अनुसार स्वतंत्र रूप से विचार किया जाना चाहिए ताकि इसकी संवैधानिकता का परीक्षण किया जा सके। वर्तमान मामले में, हमने पाया है कि धारा 39 (1)(ख) में निहित प्रश्नाधीन प्रावधान में किसी भी प्रकार की संवैधानिक कमजोरी या अक्षमता की कमी नहीं है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में कोई सहायक सामग्री प्रस्तुत नहीं की है जो यह दर्शाए कि यह प्रश्नाधीन प्रावधान किसी विशेष संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कर रहा है। अधिनियम, 1993 की धारा 39 (1)(ख) में निहित प्रावधान अब पिछले 28 वर्षों से नियम पुस्तिका में बना हुआ है और हमारे समक्ष कोई आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया गया है जो यह दर्शाता हो कि इस प्रावधान का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग केवल पूर्व सुनवाई से संबंधित प्रावधान की कमी या निलंबन के आदेश के अनिश्चितकालीन प्रभाव में रहने के कारण हो रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पीजीएफ लिमिटेड और अन्य वि० भारत संघ और अन्य (2015) 13 SCC 50** में यह अवधरित किया है कि निर्णय , पैराग्राफ 37:

> "37. अदालत पहले चरण में यह जांच सकती है कि क्या याचिका में उठाई गई प्रावधानों की वैधता की जांच के लिए प्रथम दृष्टया मजबूत आधार तैयार किया गया है। अदालत यह भी देख सकती है कि क्या इस तरह की चुनौती उस समय के सबसे पहले बिंदु पर उठाई गई है जब विधेयक पेश किया गया था या किसी प्रावधान को विधियों की सूची में जोड़ा गया था या अधिनियम के प्रवर्तन और चुनौती उठाए जाने की तिथि के बीच कोई लंबा समय अंतराल है। यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या तथ्यों के आधार पर उठाई गई चुनौती के आधार और प्रावधान का वास्तव में कोई संबंध है, इसके अलावा चुनौती के उठाए गए आधार। उन प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में, अदालत को यह ध्यान में रखना चाहिए कि

जब प्रावधान कार्य करता है तो इसमें समाहित जनहित की मात्रा पर विचार किया जाना चाहिए, और ऐसे संचालन को रोकने की आवश्यकता है। अदालत को राज्य द्वारा प्रावधान के कार्यान्वयन से उत्पन्न वित्तीय निहितार्थों की मात्रा की भी जांच करनी चाहिए और उस व्यक्ति द्वारा जो ज्ञान की वैधता के आधार पर चुनौती देता है, उसे संभावित रूप से होने वाले नुकसान का संदर्भ देते हुए। अगर याचिका अदालत यह मानती है कि उठाई गई चुनौती पर विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे फिर से यह देखना होगा कि क्या यह जनहित में प्रावधान के संचालन को रोकने के लिए कहती है। हमने केवल याचिका अदालत द्वारा ध्यान में रखी जाने वाली कुछ मूलभूत विचारों को निर्धारित करने का प्रयास किया है और यह कोई समग्र नहीं है। दूसरे शब्दों में, याचिका अदालत को ऊपर उल्लिखित आधार पर विचार करते समय अन्य आधारों की जांच करनी चाहिए, जब विधियों की वैधता या कानून के प्रावधान को चुनौती दी जाती है ताकि इसे विचार करने के लिए संज्ञान में लिया जा सके, साथ ही ऐसी याचिका के लंबित रहते हुए किसी भी अस्थायी राहत देने के लिए। उपरोक्त कारणों से यह भी अनिवार्य है कि जब ऐसी याचिकाएं स्वीकृत की जाती हैं, तो उन्हें यथाशीघ्र और समय सीमा के भीतर निपटाया जाना चाहिए, ताकि कानूनी स्थिति एक दिशा में तय हो सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार से, इस रिट याचिका, में उठाये गये कारण एवं तर्क ठोस एवं उचित नहीं होने के कारण, एतदद्वारा खारिज किया जाता है।

सही/–
(प्रशांत कुमार मिश्रा)
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

शीर्ष–टिप्पणी/Head–Note

पंचायत के पदाधिकारी को निलंबित करने की शक्ति छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 39 (1)(ख) के तहत पंचायत के एक पदाधिकारी को निलंबित करने की शक्ति प्रदान की गई है, जो एक वैध विधान है। किसी राज्य अधिनियम के प्रावधान को दूसरे राज्य के समान विधान/कानून से तुलना करके *अधिकारातीत/शक्तियों से परे* घोषित नहीं किया जा सकता।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur